



मुख्यमंत्री
जन आवास योजना 2015
के अंतर्गत

आमिद

इ. डब्ल्यू. एस. एवं एल. आइ. जी अपार्टमेंट्स
फागी रोड, बालवाला, जयपुर



Corporate Office: C-6, Vashith Marg, Hanuman Nagar,
Block C, Vaishali Nagar, Jaipur

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें: **9314 - 880 - 808**

रजिस्ट्रेशन फॉर्म




.....(योजना का नाम) में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. फ्लैट्स के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

व्यक्तिगत सूचनाएं

नाम : श्रीमान/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति का नाम
ई-मेल जन्म तिथि नागरिकता.....
पता
.....
फोन नं. घर मोबाईल पेन नं.
नाम (पत्नी): श्रीमती
पिता/पति नाम
ई-मेल जन्म तिथि नागरिकता.....
पता
.....
फोन नं. घर मोबाईल पेन नं.



1st एप्लिकेंट फोटोग्राफ



2nd एप्लिकेंट फोटोग्राफ

पारिवारिक आय का विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16

स्वयं की
पति/पत्नी की
आश्रित की
कुल पारिवारिक आय

ईकाई/स्पेस का विवरण जिसके आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

फ्लैट संख्या ब्लॉक तल
EWS sq. ft. built-up area (----- sq. ft. Super built-up area) with 1 motor cycle parking
LIG sq. ft. built-up area (----- sq. ft. Super built-up area) with 2 motor cycle parking
फ्लैट्स की निश्चित बेचान राशि @ 1100 @ & per sq. ft. i.e. Rs. -----/- (Total sale consideration)

भुगतान का तरीका: Regular Plan Down Payment Plan Flexi Plan

आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ किये गये भुगतान का विवरण

रुपये बैंक नं. बैंक का नाम दिनांक
कुल राशि रुपये

भुगतान स्रोत :- स्वयं स्रोत बैंक ऋण

फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड)	पता (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, झाईविंग लाईसेन्स, वर्तमान फोन बिल)
पहचान पत्र सं. प्रथम आवेदक	पता प्रथम आवेदक
पहचान पत्र सं. संयुक्त आवेदक	पता संयुक्त आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न समस्त घोषणा को पूरी तरह समझ लिया है तथा मैं उनसे पूरी तरह सहमत होकर उनकी पालना करूंगा/करूंगी। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हैं कि मेरे द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में दी गई समस्त जानकारियां पूरी तरह सही हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

स्थान :


कार्यालय उपयोग हेतु
रजिस्ट्रेशन डोकट नं. :
सम्बन्धित सारथी अधिकारी का नाम :
आवेदन राशि : रसीद नं./दिनांक



.....(योजना का नाम) में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. फ्लैट्स के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

व्यक्तिगत सूचनाएं

नाम : श्रीमान/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति का नाम
ई-मेल जन्म तिथि नागरिकता.....
पता
.....
फोन नं. घर मोबाईल पेन नं.
नाम (पत्नी): श्रीमती
पिता/पति नाम
ई-मेल जन्म तिथि नागरिकता.....
पता
.....
फोन नं. घर मोबाईल पेन नं.



1st एप्लिकेंट फोटोग्राफ

2nd एप्लिकेंट फोटोग्राफ

पारिवारिक आय का विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16

स्वयं की
पति/पत्नी की
आश्रित की
कुल पारिवारिक आय

ईकाई/स्पेस का विवरण जिसके आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

फ्लैट संख्या ब्लॉक तल
EWS sq. ft. built-up area (----- sq. ft. Super built-up area) with 1 motor cycle parking
LIG sq. ft. built-up area (----- sq. ft. Super built-up area) with 2 motor cycle parking
फ्लैट्स की निश्चित बेचान राशि @ 1100 @ & per sq. ft. i.e. Rs. -----/- (Total sale consideration)

भुगतान का तरीका: Regular Plan Down Payment Plan Flexi Plan

आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ किये गये भुगतान का विवरण
रुपये बैंक नं. बैंक का नाम दिनांक
कुल राशि रुपये

भुगतान स्रोत :- स्वयं स्रोत बैंक ऋण

फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड)	पता (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, झाईविंग लाईसेन्स, वर्तमान फोन बिल)
पहचान पत्र सं. प्रथम आवेदक	पता प्रथम आवेदक
पहचान पत्र सं. संयुक्त आवेदक	पता संयुक्त आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न समस्त घोषणा को पूरी तरह समझ लिया है तथा मैं उनसे पूरी तरह सहमत होकर उनकी पालना करूंगा/करूंगी। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हैं कि मेरे द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में दी गई समस्त जानकारियां पूरी तरह सही हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

कार्यालय उपयोग हेतु
रजिस्ट्रेशन डोकट नं. :
सम्बन्धित सारथी अधिकारी का नाम :
आवेदन राशि : रसीद नं./दिनांक

शर्तें

1. यह कि कम्पनी द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान संख्या 1-A के तहत निर्मित फ्लैट्स के आवंटन हेतु योजना के अधीन निर्धारित किये गये आय मानदण्डों के आधार पर फ्लैट/यूनिट बुक करवाने के उद्देश्य से नियमानुसार विज्ञापन दिया गया है।
2. यह कि आवेदक ने अफॉडेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजना जो कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के अनुसार विकसित की जा रही है में फ्लैट/यूनिट के आवंटन के लिए आवेदन किया है तथा आवेदक को परियोजना पर लागू होने वाले सभी नियमों व विनियमों आदि की मलीमांति जानकारी है और परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में भी मलीमांति जानकारी है।
3. यह कि अफॉडेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजना जो कि भूखण्ड संख्या 1, खसरा नम्बर 157 ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील फागी, डिग्गी रोड, जयपुर में स्थित है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 1672.20 वर्गमीटर है पर विकसित की जा रही है तथा जिसमें फ्लैट/यूनिट्स का निर्माण किया जा रहा है। यह कि परियोजना के भवन मानचित्र का अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 183वीं बैठक जो कि दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न हुई में किया जा चुका है तथा परियोजना के भवन मानचित्र भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र क्रमांक जविप्रा/सा.सा./बी.पी.सी. (बी.पी.)/2016/डी-1496 दिनांक 29.06.2016 जारी किये जा चुके हैं।
4. यह कि आवेदक द्वारा परियोजना में फ्लैट आवंटन हेतु किया गया आवेदन केवल और केवल एक आग्रह मात्र है तथा आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा जब आवेदक द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत सभी मानदण्डों का मलीमांति पालन किया जावेगा।
5. यह कि आवेदक द्वारा सभी भुगतान नगद/चैक/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा ही स्वीकार्य किये जावेंगे जो कि गोल्डन ड्यून्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम से होंगे तथा जिसका भुगतान जयपुर में किया जा सकेगा तथा बाहर के बैंक आदि स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उक्त माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से किये गये भुगतान के प्रति प्रमोटर की कोई जवाबदेही नहीं होगी। प्रथम किश्त का भुगतान आवेदक द्वारा चुने गये भुगतान योजना (Payment Plan) के अनुसार बुकिंग/आवंटन की दिनांक से दिवस में करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान आवेदक द्वारा चुनी गई भुगतान योजना (Payment Plan) के अनुसार करना होगा। आवेदक द्वारा बुकिंग के समय भुगतान की गई राशि को भुगतान की प्रथम किश्त में समायोजित कर लिया जावेगा।
6. आवेदक द्वारा किये गये आवेदनों की जांच मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के मानदंडों के आधार पर की जावेगी तथा यदि आवेदन उक्त योजना के मानदण्डों के आधार पर सही व उचित नहीं पाया जाता है तो उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक द्वारा बुकिंग के समय भुगतान की गई राशि/— दिवस में बिना किसी ब्याज के लौटा दी जावेगी।
7. यह कि परियोजना के मानचित्र जारी होने के दिवस के अन्दर मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के अनुसार फ्लैट्स/यूनिट्स का आवंटन कर दिया जावेगा और यदि आवेदन कम मात्रा में प्राप्त होते हैं तो आवंटन फेज में किया जावेगा। प्रमोटर द्वारा आवेदनों की अन्तिम सूची सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर पालिका/नगर विकास न्यास आदि को प्राप्त आवश्यक कागजातों के साथ भेजी जावेगी।
8. यह कि फ्लैट्स का आवंटन ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. दोनो श्रेणियों में 1100/— रुपये प्रति वर्गफीट की निश्चित दर पर किया जावेगा जो राशि प्रमोटर को दी जावेगी तथा आवंटन द्वारा उक्त 1100/— रुपये वर्गफीट के अलावा 50/— रुपये प्रति वर्गफीट EDC के तहत एवं 50/— रुपये प्रति वर्गफीट रख-रखाव शुल्क नियमानुसार ULB में जमा करानी होगी।
9. यह कि आवेदक द्वारा संलग्न Payment Plan को अक्षरी तरह से समझ लिया गया है एवं आवेदक उसके द्वारा चुने गए Payment Plan के अनुसार भुगतान करने को वचनबद्ध रहेगा।
10. यह कि यदि आवेदक के आवेदन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो प्रमोटर द्वारा उक्त कमी को दूर करने के लिए आवेदक को दिवस का समय दिया जावेगा यदि आवेदक द्वारा उक्त समय में भी कमी दूर नहीं की जाती है तो वह कमी दूर करने के अपने अधिकार से वंचित हो जावेगा।
11. यह कि यदि आवेदक सरकार द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्राप्त करता है तो फ्लैट/यूनिट का आवंटन परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम से किया जा सकेगा या फिर परिवार के पुरुष सदस्य व महिला सदस्य के संयुक्त नाम से किया जा सकेगा। जिस परिवार में यदि कोई भी व्यस्क महिला नहीं है केवल और केवल उसी स्थिति में फ्लैट/यूनिट का आवंटन परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से किया जा सकेगा। आवेदक के स्वयं के नाम से पति/पत्नी के नाम से, या अन्य आश्रित सदस्य (जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं) के नाम से राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी इलाके में कोई भी लीज होल्ड या फ्री होल्ड भूखण्ड या घर नहीं होना चाहिए इस बाबत आवेदक को नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. यह कि आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए तथा इस बाबत आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र जो स्वयं द्वारा सत्यापित हो देना अनिवार्य होगा। आवेदक का नाम सूची में आने के बाद आवेदक द्वारा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रमोटर को प्रेक्षित करना होगा यदि आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य का निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और पिछले एक वर्ष से राजस्थान राज्य में कार्यरत हो (Working) तो वह भी परियोजना में आवेदन कर सकता है परन्तु उसके द्वारा किये गये आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा जब परियोजना में राजस्थान राज्य के निवासियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हो।
13. आवेदक या आवेदक के पति/पत्नी व आवेदक के आश्रित बच्चों द्वारा केवल और केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।

आवेद

14. यह कि यदि आवेदक द्वारा प्रेक्षित किया गया कोई भी तथ्य शपथ पत्र या प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है या उसमें दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा तथा उसके द्वारा प्रदान की गई बुकिंग राशि जब्त कर ली जावेगी। जिसके फलस्वरूप आवेदक का फ्लैट/यूनिट पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं रहेगा और प्रमोटर उक्त फ्लैट/यूनिट को किसी अन्य को आवंटन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा। यदि किसी एक ही परिवार के सदस्यों जिसमें आवेदक पति/पत्नी या आश्रित सदस्यों द्वारा आवेदन किये जाते हैं और यदि किसी कारणवश सभी आवेदन या कुछ आवेदनों पर आवंटन हो जाते हैं तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह सभी आवंटनों को निरस्त कर सके तथा बुकिंग राशि को जब्त कर सके।

15. यह कि आवेदक द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेज तथा उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में जारी समस्त दस्तावेज जो कि प्रमोटर के हक में निष्पादित है की भलीभांति जांच कर ली गई है तथा परियोजना के भवन मानचित्र जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.06.2016 द्वारा जारी किये गये हैं की भी भलीभांति जांच कर ली है और अपनी सन्तुष्टि कर ली है तथा जिसके सम्बन्ध में आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

16. यह कि आवेदक को इस बात की सम्पूर्ण जानकारी है कि आवेदक को परियोजना में फ्लैट/यूनिट का आवंटन मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के सभी प्रावधानों तथा पात्रता मानदण्डों के पूर्ण होने पर ही किया जावेगा तथा आवेदक द्वारा इस बात की गारंटी दी गई है कि आवेदक द्वारा पात्रता मानदण्ड की पूर्ति कर दी गई है तथा इस बात का वचन भी दिया गया है कि आवेदक द्वारा फ्लैट/यूनिट के आवंटन व क्रय करने के लिए उक्त योजना के तहत लागू होने वाले सभी प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

17. यह कि आवेदक द्वारा इस बात का वचन दिया गया है कि उसके द्वारा उक्त फ्लैट/यूनिट खरीदने के लिए उस पर लागू होने वाले समस्त कानूनों/नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचना, शर्तें आदि का पालन किया जावेगा तथा किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा जो उक्त परियोजना पर लागू होगी।

18. यह कि आवेदक को इस बात की भलीभांति जानकारी है कि ई.डब्ल्यू.एस. यूनिट के लिए एक टू-व्हीलर व एल.आई.जी. यूनिट के लिए दो टू-व्हीलर पार्किंग का आवंटन किया जावेगा।

19. यह कि परियोजना में आवेदक को फ्लैट/यूनिट का सफलतापूर्वक आवंटन करने के बाद आवेदक द्वारा जो भुगतान योजना (Payment Plan) चुनी गयी है के अनुसार बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। तय समय पर भुगतान करना आवंटन का एक अहम महत्वपूर्ण भाग होगा। आवेदक पर यह दायित्व होगा कि वह भुगतान की समस्त शर्तों का पालन करे। यदि आवेदक द्वारा किसी भी किश्त का तय समय जो कि कंपनी द्वारा आवंटन पत्र में दिया जावेगा पर भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी द्वारा एक स्मरण पत्र जारी किया जावेगा जिसके तहत आवेदक को स्मरण पत्र के जारी होने की दिनांक से दिवस के अन्दर भुगतान करना होगा। यदि आवेदक द्वारा स्मरण पत्र के बाद भी बकाया किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो आवेदक को बकाया किश्त मय दण्डात्मक ब्याज जो कि प्रथम एक माह तक प्रतिशत रहेगा तथा दूसरे माह व जब तक किश्त बकाया रहती है 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान करना होगा। यदि आवेदक द्वारा किसी किश्त का भुगतान तय समय अवधि के दो माह बाद भी नहीं किया जाता है तो प्रमोटर को यह अधिकार होगा कि वह उक्त आवंटन को निरस्त कर दे तथा आवेदक द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशि में से विक्रय प्रतिफल का प्रतिशत राशि काटने के पश्चात शेष राशि आवेदक को लौटा दे।

20. यह कि प्रमोटर द्वारा परियोजना के भवन मानचित्र जारी होने के दिनांक से वर्ष में आवेदक को फ्लैट/यूनिट का कब्जा सम्भला दिया जावेगा। यदि निर्माण कार्य किसी कारणवश रूकता है जिस पर प्रमोटर का कोई नियन्त्रण ना हो जिसमें हड़ताल का होना, कार्य बन्द करना, कोर्ट का कोई स्थगन, सामाजिक उपद्रव या कोई युद्ध, आतंकवादी हमला, भूकम्प, बाढ़ आदि शामिल हैं, तो उक्त अवधि को कुल निर्माण अवधि में शामिल नहीं किया जावेगा।

21. यह कि आवेदक द्वारा फ्लैट/यूनिट का कब्जा प्राप्त करने से पहले सभी प्रकार के खर्च/स्टाम्प ड्यूटी आदि का भुगतान करना होगा। यदि आवेदक द्वारा मांग पत्र में दी गई तय अवधि तक सभी चार्जस, स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क एक मुश्त बिना ब्याज रखरखाव राशि या कोई भी अन्य चार्ज आदि का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रमोटर पर फ्लैट/यूनिट के विक्रय पत्र को निष्पादन करने का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। यह कि प्रमोटर द्वारा फ्लैट/यूनिट के कब्जे का ऑफर देने की दिनांक से दिवस में आवेदक द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन करना अनिवार्य होगा।

22. यह कि यदि आवेदक द्वारा आवंटित फ्लैट/यूनिट का कब्जा ऑफर होने के बाद भी कब्जा प्राप्त करने में देरी की जाती है या कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो आवेदक को प्रमोटर द्वारा लगाये गये Holding चार्जस और अन्य कोई लागत आदि का भुगतान करना होगा।

23. यह कि आवेदक द्वारा फ्लैट/यूनिट का कब्जा प्राप्त करने के बाद एक वर्ष के भीतर उक्त फ्लैट/यूनिट में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा और उक्त फ्लैट/यूनिट किसी अन्य पात्र आवेदक को आवंटित कर दिया जावेगा। इसके अलावा यदि किसी भी कारण से निवास करने में देरी होती है तो इसके लिए प्रमोटर किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा तथा इसके उपरान्त जो भी खर्चों या कर आदि जो उक्त फ्लैट/यूनिट पर लागू होंगे उसका भुगतान आवेदक को ही करना होगा या प्रमोटर को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि आवेदक से प्राप्त करे।

24. यह कि प्रमोटर द्वारा परियोजना का निर्माण पूर्ण होने के बाद एक वर्ष तक परियोजना का रख-रखाव किया जावेगा तथा एक वर्ष के पश्चात् उक्त परियोजना रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) को परियोजना के रखरखाव हेतु हस्तान्तरित कर दी जावेगी। परियोजना के हस्तान्तरण के पश्चात् प्रमोटर का उक्त परियोजना के रखरखाव के प्रति कोई भी दायित्व नहीं रहेगा।

25. यह कि आवेदक द्वारा उक्त परियोजना के सम्बन्ध में एक रखरखाव इकरारनामा निष्पादित किया जावेगा तथा रखरखाव कार्य हेतु बिना ब्याज जमा राशि का भुगतान किया जावेगा। उक्त रखरखाव कोष में शेष बची राशि को भी परियोजना रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) को हस्तान्तरित करते समय रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा ताकि रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) द्वारा उक्त परियोजना के रखरखाव के कार्य में उक्त शेष राशि का उपयोग किया जा सके। आवेदक द्वारा उक्त परियोजना के सभी नियमों, विनियमों जिसमें फ्लैट/यूनिट का किस तरह उपयोग करना है, आगन्तुकों का आगमन/प्रस्थान व पार्किंग आदि के नियम शामिल हैं का पालन करना अनिवार्य होगा।

26. यह कि प्रत्येक आवेदक को रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) का सदस्य बनना अनिवार्य होगा तथा रखरखाव हेतु निर्धारित राशि का सभिति को प्रति माह भुगतान करना होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा एक वचन पत्र उक्त फ्लैट/यूनिट का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व देना अनिवार्य होगा।

27. यह कि आवेदक को उक्त फ्लैट/यूनिट में बिजली व पानी कनेक्शन हेतु लगने वाली लागत का भुगतान अलग से करना होगा जो कि प्रमोटर द्वारा उक्त फ्लैट/यूनिट का कब्जा देने से पूर्व मांग की जावेगी।

28. यह कि आवेदक द्वारा उक्त फ्लैट/यूनिट पर लगने वाले सभी चार्जज जो वर्तमान में व भविष्य में यदि लागू होते हैं जिसमें वेत, सर्विस कर आदि (यदि कोई हो तो) शामिल हैं को मांग किये जाने पर भुगतान किया जावेगा।

29. यह कि आवेदक द्वारा जब तक कि कानून द्वारा अनुमति ना मिले तब तक उक्त फ्लैट/यूनिट का उपयोग किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा तथा आवेदक द्वारा उक्त फ्लैट/यूनिट के ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जावेगा।

30. यह कि प्रमोटर द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में जिस तरह कॉमन क्षेत्र व सुविधाएं दर्शाई गई हैं और आवेदक का उक्त कॉमन क्षेत्र व सुविधाओं पर अविभाजित हिस्सा दर्शाया गया है वह आवेदक पर पूर्ण रूप से लागू होगा।

31. यह कि आवेदक परियोजना में फ्लैट/यूनिट क्रय करने हेतु किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य किसी स्त्रोतों से ऋण ले सकता है। यदि बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा किश्तों का भुगतान करने में देरी होती है तो आवेदक को देरी से भुगतान करने का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। यदि आवेदक द्वारा किसी भी किश्त का नियत समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी देरी हेतु आवेदक द्वारा देय किश्त पर प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

32. यह कि आवेदक द्वारा प्रमोटर को उक्त फ्लैट/यूनिट पर ऋण लेने, गिरवी रखने व चार्ज का सर्जन करना आदि के लिए अधिकृत किया जाता है परन्तु विक्रय पत्र के निष्पादन से पहले प्रमोटर द्वारा उक्त फ्लैट/यूनिट प्रत्येक प्रकार के ऋण के ऋण भार से मुक्त किया जावेगा।

33. यह कि आवेदक ऐसे सभी दस्तावेज हस्ताक्षर करेगा जो कि इस समव्यवहार को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है एवं जिनसे प्रमोटर एवं आवेदक के हित सुरक्षित होते हैं।

34. यह कि आवेदक द्वारा उक्त आवंटित फ्लैट/यूनिट का 10 वर्ष से पूर्व किसी अन्य को विक्रय नहीं किया जावेगा यदि आवेदक द्वारा 10 वर्ष से पूर्व उक्त फ्लैट/यूनिट किसी अन्य को विक्रय किया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा और उक्त फ्लैट/यूनिट किसी अन्य पात्र आवेदक को आवंटित कर दिया जावेगा।

35. यह कि उक्त भवन को आग, भूकम्प आदि से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रमोटर/ रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (ई।) द्वारा उक्त भवन का बीमा करवाया जाएगा जिसकी लागत आवेदक से वसूल की जावेगी। यह कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जिससे उक्त बीमा शून्य/व्यर्थ हो जाये या उक्त बीमा प्रिमियम में बढ़ोतरी हो जाये यदि ऐसा होता है तो इसकी पूर्ण रूप से आवेदक की ही जिम्मेदारी होगी।

36. यह कि प्रमोटर परियोजना में अन्य निर्माण कार्य जैसे व्यवसायिक ऐरिया आदि का निर्माण जिस पर केवल और केवल प्रमोटर का ही अधिकार है आदि कर सकता है। यह कि आवेदक और संस्था (RWA) को जो Common एरिया घोषित किया गया है उस एरिया के अलावा किसी अन्य एरिया पर का कोई भी अधिकार नहीं होगा। यह कि प्रमोटर को उक्त परियोजना में सीवरेज, ड्रेन्स, बिजली, पानी के पाईप और अन्य सम्बन्धित सेवाओं आदि व प्रोजेक्ट की दीवार या ढांचा आदि में बदलाव करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा जिस पर आवेदक व संस्था को किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

37. यह कि आवेदक का यह दायित्व है कि आवेदक अपना सम्पूर्ण पता मय ई-मेल प्रमोटर को प्रदान करेगा और यदि आवेदक के पते में कुछ भी बदलाव होता है तो आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह इस बाबत् प्रमोटर को सूचित करे। आवेदक द्वारा अपना सम्पूर्ण पता, प्रोजेक्ट का रेफरेन्स व आवंटित फ्लैट आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी।

38. यह कि आवेदक द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि उसने इस आवेदन फार्म की सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है तथा सभी शर्तों से सन्तुष्ट है और यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे प्रमोटर को किसी भी तरह की हानि होती है तो उक्त हानि की मरपाई आवेदक द्वारा की जावेगी।

आवेदक द्वारा घोषणा : यह की मैंने आवंटन सम्बन्धी उक्त सभी शर्तें भलीभांति पढ़कर समझ ली है एवं यदि मेरे द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त आवेदन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेद

शपथ पत्र

सभी आवेदकों के लिए

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी सशपथ प्रमाण करता/करती हूँ।

1. यह कि मैं राजस्थान राज्य का निवासी हूँ/ मैं भारत का नागरिक हूँ और पिछले एक वर्ष से राजस्थान राज्य में कार्यरत हूँ।
2. यह कि मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास राजस्थान में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट/सूखण्ड नहीं है।
3. यह कि मेरी कुल वार्षिक आय है तथा मैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी में आता हूँ।
4. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं मैसर्स गोल्डन ड्यून्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतन्त्र होगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं, मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहित हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(नोटराईड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आय वर्ष, जाति निवासी
.....सशपथ बयान करता/करती हूँ :-

1. यह कि मेरी वर्ष 2015-2016 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार है :-

अ. स्वयं की आय, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये है।

ब. यह कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में मेरी कुल आमदनी रुपये थी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

एस.डी.ओ./तहसीलदार
सत्यापित

वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) में (पद का नाम) पद पर कार्यरत है एवं ये (केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2015-2016 में रुपये है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग उपक्रम/कम्पनी/संस्था का नाम



॥ इकरारनामा ॥

यह इकरारनामा आज दिनांक को मैसर्स गोल्डन ड्यून्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि., जो कि भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित एक कम्पनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 6, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर है, जरिये निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि श्री जिसे इस इकरारनामों में आगे चलकर शब्द विक्रेता प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, (जिसमें कि विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं एवम् इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसान, निदेशकगण आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे)

एवं

श्री पुत्र श्री जाति निवासी जिसे इस विक्रय अनुबन्ध में आगे चलकर शब्द "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है, (जिसमें कि द्वितीयपक्ष स्वयं एवम् इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसान, पारिवारिक सदस्य आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के मध्य में लिखा जाता है।

जो कि विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व का एक मूखण्ड संख्या 1, खसरा नम्बर 157, ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, डिग्गी रोड, जयपुर में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 1672.20 वर्गमीटर है। उक्त मूखण्ड विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा इसके पूर्व स्वामी मैसर्स फाइनेटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री नगेन्द्र चौधरी पुत्र श्री देवेन्द्र चौधरी बाहैसियत मुख्तयारआम श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बाईसराज मीणा जाति मीणा, निवासी ई-666, नकुल पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर, राजस्थान से जरिये विक्रय पत्र दिनांकित द्वारा क्रय किया गया था। जो विक्रय पत्र उप पंजीयक के यहां दिनांक को पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या के पेज संख्या क्रम संख्या पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या के पेज संख्या से पर चरपा किया गया।

यह कि पूर्व खातेदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अन्तर्गत उक्त भूमि का संस्थानिक प्रयोजन हेतु समपरिवर्तन किये जाने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को आवेदन किया गया था जिस पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रकरण संख्या 221 में दिनांक 29.03.2016 को पारित अपने आदेश द्वारा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को संस्थानिक (प्राथमिक विद्यालय) प्रयोजन हेतु समपरिवर्तित किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में दर्ज की गई है, तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त समपरिवर्तित भूमि का आवंटन पूर्व खातेदारों के हक में कर दिया गया है जिससे पूर्व खातेदार को उक्त भूमि में अधिकार उत्पन्न हो गए हैं एवम उसे स्वयं अपने अथवा अपने द्वारा नामित व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के नाम पुनः आवंटन प्राप्त करने/विक्रय करने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

तत्पश्चात् कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त वर्णित मूखण्ड का पट्टा विलेख क्रमांक 2428 दिनांक 20.05.2016 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के तहत प्रथम पक्ष के हक में जारी किया गया, जो पट्टा उप पंजीयक के यहां दिनांक को पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या के पेज संख्या क्रम संख्या पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या के पेज संख्या से पर चरपा किया गया।

यह कि इस प्रकार विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त मूखण्ड संख्या 1 जो कि ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, डिग्गी रोड, जयपुर में स्थित है एवं जिसकी कुल माप 1672.20 वर्गफीट है का एकमात्र आत्यंतिक स्वामी हुआ। (जिसे आगे चलकर इस इकरारनामा में उक्त मूखण्ड के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) इस मूखण्ड की चारों सीमाएँ निम्न प्रकार है :-

उत्तर में :.....

दक्षिण में:.....

पूर्व में:.....

पश्चिम में:.....

उपरोक्त को अच्छी तरह से समझने के लिये इस मूखण्ड संख्या 1 का एक साईट प्लान इस इकरारनामा के साथ प्रदर्श-1 के रूप में संलग्न है, जो कि इस इकरारनामे का एक आवश्यक अवयव है।

यह कि उपरोक्त वर्णित परियोजना में मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों 1—ए के प्रावधानों के तहत आवश्यक ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने के लिये भवन मानचित्र जारी करने हेतु विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को आवेदन किया गया था। तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक जविप्रा/सा.सा./बी.पी.सी.(बी.पी.) /2016/डी—1496 दिनांक 29.06.2016 द्वारा भवन मानचित्र जारी कर दिये गये तत्पश्चात विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्रानुसार उपरोक्त वर्णित परियोजना में मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधान 1—ए के प्रावधानों के अनुसार ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष के स्वामित्व के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर निर्मित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवनों के आवंटन हेतु मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधान 1—ए के प्रावधानों के अनुसार विकासकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं तथा विकासकर्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों में से मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची निर्धारित की गई है जिसकी एक प्रति विकासकर्ता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भी प्रेषित की गई है उक्त सूची के अनुसार क्रेता द्वितीय पक्ष श्री को ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन संख्या क्षेत्रफल वर्गमीटर जो कि विकासकर्ता द्वारा निर्धारित की गई सूची में बिन्दु पर है। विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के अनुसार तय विक्रय प्रतिफल/— प्राप्त कर अपनी आवासीय योजना में स्थित उक्त ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन का बेचान क्रेता द्वितीयपक्ष के हक मे किया जा रहा है।

यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के तहत विकासकर्ता द्वारा निर्धारित की गई सूची के अनुसार परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन सं. जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है तथा जो तल पर स्थित है (फ्लैट का नक्शा प्रदर्श—2 के रूप में संलग्न है) का बेचान समस्त अधिकारों सहित बिना किसी अंश व भाग को रखे क्रेता द्वितीय पक्ष को बिचौती करना तय पाया गया है। उक्त ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन की चारों सीमाएँ निम्न प्रकार है:—

उत्तर में :.....
दक्षिण मे:.....
पूर्व में:.....
पश्चिम में:.....

अतः मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के तहत क्रेता द्वितीय पक्ष उक्त फ्लैट/भवन क्रय करना चाहता है जिसका इकरारनामा निम्नलिखित शरयतों पर लिखा जाता है :-

- यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने उपरोक्त वर्णित परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन नम्बर जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है, को कुल/— रुपये (मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के तहत निर्धारित विक्रय प्रतिफल) के बदले विक्रय करना तय किया है, तथा क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि में से/— रुपये अक्षरेरुपये बैंक/नकद स्वरूप इस इकरारनामे को निष्पादित करते समय निम्नानुसार देना तय पाया गया है :-

क्र.स.	राशि	नकद/बैंक सं.	दिनांक	बैंक
1				
2				
कुल				

जिसकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता प्रथम पक्ष इस इकरारनामों में करता है तथा विक्रय प्रतिफल की शेष धन राशि इस इकरारनामे की निष्पादन तिथि से दिनांक तक विक्रय पत्र का निष्पादन करते समय प्राप्त कर उक्त बेचान किये गये फ्लैट/भवन का कब्जा विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा क्रेता द्वितीयपक्ष को देना तय पाया है।

- यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष फ्लैट्स का निर्माण इस इकरारनामे के निष्पादन की दिनांक से अवधि के भीतर पूर्ण करके कब्जा क्रेता द्वितीय पक्ष को सम्मला देगा।

- यह कि खर्चा विक्रय पत्र प्रत्येक प्रकार का क्रेता द्वितीय पक्ष के जिम्मे तय हुआ है और जिसे क्रेता द्वितीय पक्ष अलावा मूल्यधन स्वयं वहन करेगा।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा यह घोषणा की गई है कि स्वयं क्रेता द्वितीयपक्ष, या उसकी पत्नी/पति और या परिवार के किसी भी सदस्य (जो क्रेता द्वितीय पक्ष पर आश्रित है जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल है) के स्वामित्व/नाम से राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी इलाके में अन्य कोई लीज होल्ड या फ्री होल्ड भूखण्ड या आवास नहीं है जिसके लिये क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी है। जिसके लिए क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। यदि क्रेता द्वितीय पक्ष राजस्थान राज्य का निवासी नहीं पाया जाता है तो उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा यह घोषणा की गई है कि क्रेता द्वितीयपक्ष की वार्षिक आय है तथा इसके लिये क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा अपने नियोक्ता/तहसीलदार/नगर पालिका अधिकारी एवं राजकीय अधिकारी से प्राप्त/सत्यापित या स्वयं द्वारा सत्यापित वार्षिक आय व अपने निवास का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित है प्रस्तुत किया गया है।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा यह घोषणा की गई है कि क्रेता द्वितीय पक्ष ने सरकार द्वारा संचालित आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड व अन्य पहचान योजना में स्वयं को पंजीकृत करवा रखा है तथा इस बाबत क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त कार्ड की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति/पंजीकरण की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष यह भलीभांति जानता है कि उसके द्वारा परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट/भवन के आवंटन हेतु मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के तहत आवेदन किया गया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उसे मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के तहत पात्र मानते हुये उसे नियमानुसार आवंटित किया गया है जिसकी सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को नियमानुसार भेजी गई है। यदि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत की जाती है/गई है, अथवा कोई सूचना छिपाई गई है तो उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष दिनांक तक इस इकरारनामे के तहत विक्रय प्रतिफल की शेष बची रकम रुपये/— अक्षरे रूपये विक्रेता प्रथम पक्ष को आवश्यक रूप से माह में अदा कर देगा। विक्रय प्रतिफल की शेष रकम अदा करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा अपने नाम से विक्रय—पत्र इत्यादि तैयार करवाकर विक्रेता प्रथम पक्ष को देने पर विक्रेता प्रथमपक्ष क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा तैयार कराये हुये विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करके साक्षियों से परिपूर्ण कराकर विक्रय पत्र सम्बन्धित उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन करवा देगा, और विक्रय किये गये फ्लैट/भवन का कब्जा द्वितीय पक्ष को सम्मला देगा।

- यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा यह घोषणा कि गई है कि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानों के अनुसार उक्त फ्लैट/भवन का कब्जा प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर उक्त भूखण्ड/फ्लैट में निवास कर लिया जावेगा। इस बाबत क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा पृथक से एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष के भीतर उक्त भूखण्ड/फ्लैट में निवास नहीं किया जाता है तो उक्त आवंटन निरस्त हो जावेगा और अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन कर दिया जावेगा।

- यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों का सम्पूर्ण निर्माण होने के पश्चात् 1 वर्ष तक रखरखाव किया जावेगा तत्पश्चात विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों को आर.डब्लू.ए./शहरी स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा। विक्रेता प्रथम पक्ष द्वारा परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों का सम्पूर्ण निर्माण होने के पश्चात् एक मुश्त रखरखाव राशि जो कि सरकार द्वारा विक्रेता प्रथम पक्ष के परामर्श से निर्धारित की गई है को एक अलग रखरखाव खाते में कोष राशि के रूप में जमा किया जावेगा जिसे उक्त परियोजना में स्थित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों के रखरखाव के कार्य में लिया जावेगा। उक्त एक मुश्त रखरखाव राशि में आवंटि द्वितीयपक्ष को अपने हिस्से की अनुपातिक राशि जमा करानी होगी।

12. यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष को परियोजना में स्थित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के रखरखाव हेतु बनाई गई संस्था/आर.डब्ल्यू.ए./शहरी स्थानीय निकास का सदस्य बनना होगा तथा संस्था/आर.डब्ल्यू.ए./शहरी स्थानीय निकास द्वारा समय-समय पर मांग की गई रखरखाव राशि का भुगतान करना होगा जिसके लिये क्रेता द्वितीय पक्ष इस इकरारनामें में अपनी सहमति प्रदान करता है।

13. यह कि यदि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा इकरारनामें की विहित अवधि माह में भी बकाया विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह इकरारनामा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

14. यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा आवंटित किये गये भूखण्ड/प्लैट को 10 वर्ष तक किसी अन्य को बेचान/अन्तरण नहीं किया जावेगा। यदि क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड/प्लैट को आवंटन से 10 वर्ष के भीतर किसी अन्य को बेचान/अन्तरण किया जाता है तो उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

15. यह कि अब बेचे हुए प्लैट/भवन से विक्रेता प्रथम पक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष के उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों इत्यादि का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा तथा इस इकरारनामे की शरायतों में विक्रेता प्रथम पक्ष व उनके समस्त कानूनी उत्तराधिकारी, वारिसान इत्यादि भी कायम व पाबन्द रहेंगे तथा इस इकरारनामे की शरायतों की पूर्ण रूप से पालना करेंगे।

अतः यह इकरारनामा पक्षकारान ने अपनी-अपनी राजीखुशी स्वस्थचित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में स्टाम्प कीमती में 100/- रुपये के एक किता स्टाम्प पेपर व सात किता ग्रीन पेपर्स पर लिखकर सन्मुख गवाहान अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

इति दिनांक-----

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथम पक्ष
मैसर्स गोल्डन ड्यून्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.,

(.....)

जरिये निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि

साक्षी - 1

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीय पक्ष

(.....)

साक्षी - 2

“ ”
भूखण्ड संख्या 1, खसरा नम्बर 157, ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, डिम्गी रोड़, जयपुर

Payment Plan

बुकिंग के समय	_____/-
आवंटन के समय	_____ % of BSP less _____/-
खुदाई के समय	_____ % of BSP
नींव भरने के समय	_____ % of BSP
भूतल निर्माण प्रारम्भ के समय	_____ % of BSP
प्रथम तल के निर्माण प्रारम्भ के समय	_____ % of BSP
द्वितीय तल के निर्माण प्रारम्भ के समय	_____ % of BSP
तृतीय तल के निर्माण प्रारम्भ के समय	_____ % of BSP
आन्तरिक प्लास्टर के समय	_____ % of BSP
कब्जा दिये जाने के समय	_____ % of BSP
कुल	100% of BSP

रुपये/- बुकिंग के समय

आवंटन के समय 10 प्रतिशत जिसमें से बुकिंग के समय दिये गये/- रुपये समायोजित कर लिये जावेंगे।

शेष भुगतान ऊपर दी गई टेबल के अनुसार

सभी भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा गोल्डन ड्यून्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में हो तथा जयपुर में देय होगा।

.....

हस्ताक्षर

आवेदक

.....

हस्ताक्षर

गवाह

Aamod- Artistic View



Aamod- Artistic View




Ground Floor Plan



Area Table

S. NO	FLAT TYPE(No.)	B.U.A.	SALE AREA
01	2 BHK(001 to 010)	480	530
02	1 BHK(011 to 020)	297	347



Typical Floor Plan



Area Table

S. NO	FLAT TYPE	B.U.A.	SALE AREA
01	2 BHK(101 to 110)	477	527
02	1 BHK(111 to 120)	297	347

Unit Plans



1 BHK Flat Build-up area : 297 sq. ft. | Saleable area : 347 sq. ft.

Specifications

- फ्लोरिंग** :
- ऑल रूमस : वट्टिफाइड टाइल्स 300X300
 - बालकनी : सेरमिक टाइल्स 300X300
 - किचन : सेरमिक टाइल्स 300X300
 - टायलेट : ऐंटेरिकड सेरमिक टाइल्स 300X300
- विंडो** :
- एम एस सेक्शन फ्रेम विद प्लेन ग्लास ऑफ 4 एम एम थिकनेस इनक्लुडिंग एम एस फिटिंग
- डोरस** :
- ऑल डोर शटर विल बी फलश डोर 30 एम एम थिकनेस विद एम एस कबजा, हैंडल, टावल बोल्ट इत्यादि
- टायलेट** :
- ऐंटेरिकड सेरमिक टाइल्स 300X300
 - 4' हाइट ग्लेज्ड टाइल्स इन टायलेट्स
- किचन** :
- मारबेल प्लैटफॉर्म, विद सिंक सी पी फिटिंग्स
 - 2' हाइट ग्लेज्ड टाइल्स ओवर किचन काउंटर साइज 300X200
 - सिंक मेड विद मारबेल 8 कोटा स्टोन (24"X18"X7")
- सेनिटरी व प्लम्बिंग** :
- सिपिविसि / पिपिआर पाइप्स एवं फिटिंग फॉर सेपरेट वाटर सप्लाइ फॉर विलन वाटर फॉर फ्लसिंग सिस्टम ऐंज पर ड्राइंग
 - प्रभिजून फॉर एस डब्लु आर 8 पि मि सि पाइप्स एवं फिटिंग्स फॉर सेवेरज्स, वेस्ट वाटर, रेन वाटर
 - प्रभिजून फॉर इनलेट सप्लाइ ऑफ विलयर एवं एस टि पि वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक टू रूफ वाटर टैंक
 - मैनहोल्स, गाली ट्रैप, चेम्बर विद फेरो सिमेंट कॉवर इनसाइड बिल्डिंग लाइन
 - प्रभिजून फॉर कोल्ड वाटर इन ईच टायलेट एवं किचन
 - ग्हाइट कलरड डब्लू सि, सिसटर्न, वाश बेसिन विद रिक्वेर्ड वैस्ट पाइप, कपलिंग इत्यादि
- पेंट** :
- डिस्टेम्पर फिनिश इन टू कोट्स इन ऑल इंटरनल वॉल
 - ओवर वूड वर्क, स्टिल वर्क - एनमल पेंट इनक्लुडिंग प्राइम
 - सामोकेम कोटिंग पेंट ऑन एक्सटर्नल वॉल

DISCLAIMER : IN THE INTEREST OF CONTINUAL DEVELOPMENTS IN DESIGN & QUALITY OF CONSTRUCTION , THE DEVELOPER RESERVES ALL RIGHTS TO MAKE ANY CHANGES IN THE SCHEME INCLUDING TECHNICAL SPECIFICATION, DESIGN, PLANNING ,LAYOUT & ALL THE ALLOTTERS, PURCHASER SHALL ABIDE BY SUCH CHANGES.